

विभागीय जाँच न होने का प्रमाण-पत्र (प्रारूप-6)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....

पद.....पदस्थापन स्थान..... के

विरुद्ध आज दिनांक तक-

01. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
02. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अन्तर्गत कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
03. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

हस्ताक्षर मय शील